राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट–3 जयपुर, दिनांक 17 FEB 201

आदेश

नगरीय विकास विभाग में शहरीय विकास के प्रबंधन, नियमन तथा रेग्यूलेट्री मुद्दों, यथा अरबन ट्रांसपोर्ट, शहरी सड़को/चौराहों में सुधार हेतु नीति, मेट्रो अलाइनमेंट, कॉम्पेक्ट सिटी, ट्रांजिट ओरिएन्टेड डवलपमेंट, वरिष्ठ नागरिकों हेतु आवास योजना इम्पैक्ट फीस व अन्य विशिष्ट नीतियों/योजनाओं आदि महत्वपूर्ण विषयों पर समय–समय पर निर्णय लिया जाना होता है, जो शहरी विकास एवं इनसे संबंधित संस्थाओं पर दूरगामी प्रभाव रखते है। राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे विषयों पर एक कोर ग्रुप द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त ही नीति प्रस्तावित की जावे। अतः इस संबंध में निम्नानुसार एक कोरग्रुप का गठन किया जाता है:–

- शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग — अध्यक्ष
- शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग — सदस्य
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग — सदस्य
- आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण — सदस्य
- आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल — सदस्य
- परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी. — सदस्य
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान — सदस्य
- प्रबंधक निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन — सदस्य
- निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम), जयपुर विकास प्राधिकरण — सदस्य
- निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय) जयपुर विकास प्राधिकरण — सदस्य
- शासन संयुक्त सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग — संयोजक

उक्त कोरग्रुप की बैठक में विषयों से संबंधित विषय विशेषज्ञ/संस्थान से विशेषज्ञों को विशिष्ट राय हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। कोर ग्रुप के द्वारा दिये गये सुझाव स्वीकृति हेतु माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान को प्रेषित किये जायेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. परियोजना, निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी. जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. प्रबंधक निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन।
10. निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
11. निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय